बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-2/सी.एम.टी.-96/2011 परि0 ....1631......... /

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 28/4/2012

विषय : दिनांक 30.04.2012 से पंजीकृत होने वाले नये मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने के संबंध में ।

महाशय,

आप इस तथ्य से अवगत है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 में वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के आलोक में सभी प्रकार के मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है ।

2. विदित हो कि WP(C)-510/2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2012 को पारित आदेश से सभी नये वाहनों पर 30 अप्रील 2012 तक एवं पुराने वाहनों पर 15 जून 2012 तक को उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने संबंधी कार्य को अनिवार्य किया गया है ।

3. उच्च सुरक्षयुक्त निबंध प्लेट लगाने के संबंध में L2 कंपनी Agros Impex (I) Pvt. Ltd. नई दिल्ली से दिनांक 12.04.2012 को एकरारनामा किया गया है । उक्त एकरारनामा के अनुसार दिनांक 30.04.2012 से पंजीकृत नये मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने का कार्य प्रारंभ होना है । उक्त कंपनी HSRP प्लेट का निर्माण, आपूर्ति एवं मोटर वाहनों पर प्लेट लगाने का कार्य सम्पादित करेगी । पुराने वाहन हेतु विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे ।

4. अतः उक्त कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते है :-

(क) <u>वेंडर को स्थान उपलब्ध कराना</u>

1. वेंडर या उनके प्राधिकृत व्यक्ति को जिनके द्वारा HSRP प्लेट का शुल्क लिया जाना है को जिला परिवहन कार्यालय में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वह अपना कम्प्यूटर अधिष्ठापित करेंगे । इस हेतु उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा । उक्त कार्यालय में उपयोग में लाये जाने वाले बिजली या अन्य सुविधा के लिए वेंडर द्वारा विहित राशि का भुगतान करना होगा ।
2. वेंडर (Agros Impex (I) Pvt. Ltd.) द्वारा Embossing Stations चार जिलों यथा पटना, गया, दरभंगा एवं भागलपुर तथा Affixing Stations सभी जिला परिवहन कार्यालय के परिसर में स्थापित किये जायेंगे । उनके अनुरोध पर समुचित जगह उपलब्धता होने पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है । इस संबंध में रेंटल या लीज हेतु कोई राशि नही ली जायेगी । अतः उन्हें समुचित स्थान जिला परिवहन कार्यालय परिसर में अगर उपलब्ध है तो उपलब्ध कराया जाय । उक्त परिसर में उपयोग में लाये जाने वाले बिजली, पानी या अन्य सुविधा के लिये वेंडर द्वारा विहित राशि का भुगतान किया जायेगा ।
3. जिन परिवहन कार्यालयों में स्थान उपलब्ध नहीं होंगे, वेंडर द्वारा Embossing Station एवं Affixing Station जिला परिवहन कार्यालय के Deemed परिसर में जिला परिवहन पदाधिकारी की सहमति से स्थापित किया जा सकेगा । नये परिसर हेतु रेंट या अन्य चार्ज वेंडर द्वारा भू-स्वामी को भुगतेय होगा । जिला परिवहन पदाधिकारी ऐसा परिसर ढूढ़ने में वेंडर के प्रतिनिधि को सहयोग देंगे ।

4. वेंडर द्वारा अनुरोध किया गया है कि Affixation हेतु न्यूनतम 1000 वर्गफीट एवं जोनल कार्यालय जहां Embossing Station होगा जो कि पटना, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में स्थापित किये जाने है, हेतु न्यूनतम 2000 वर्गफीट भूखंड की आवश्यकता होगी । Affixation हेतु Open Space निबंधित वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगी ।

अतः वेंडर के अनुरोध पर उक्त स्थान की उपलब्धता हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय। उक्त जमीन का रेंट वेंडर द्वारा भुगतेय होगा । दिनांक 17.04.2012 की बैठक में अधिकांश जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ऐसे परिसर/स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है । **सभी जिला परिवहन पदाधिकारी यह कार्य 22.04.2012 तक निश्चित रूप से कर लेंगे ।**

(ख) जिला परिवहन पदाधिकारी/निबंधन प्राधिकार द्वारा HSRP हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करना

1. नये वाहनों पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी वाहन स्वामी को 'प्राधिकार पत्र' अपने हस्ताक्षर से निर्गत करेंगे । प्राधिकार पत्र निम्नवत होंगे -

प्राधिकार पत्र का प्रारूप

सेवा में,

वाहन स्वामी का नाम
पता

विषय -वाहन संख्या-..................... पर HSRP प्लेट लगाने हेतु

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके वाहन (वाहन का प्रकार) जिसका निबंधन संख्या-........... इंजन नं0-.................. चेचिस नं0-................. है, पर HSRP प्लेट लगाने हेतु Agros Impex (I) Pvt. Ltd. को प्राधिकृत किया जाता है । इस हेतु आप विहित शुल्क का भुगतान अधिकृत एजेन्सी को करेंगे ।

2. HSRP प्लेट की दर निम्नवत है -

1.	दो पहिया वाहन	- रू0 131/-
2.	तिपहिया/अशक्त वाहन	- रू0 162/-
3.	हल्के मोटर वाहन/पैसेंजर कार	- रू0 335/-
4.	मध्यम/भारी वाहन/ट्रेलर/कम्बीनेशन	- रू0 310/-
5.	कृषि ट्रैक्टर/पावर ट्रेलर कम्बीनेशन	- रू0 140/-

जिला परिवहन पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकार का हस्ताक्षर

उक्त प्राधिकार पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेंगे । प्राधिकृत वेंडर के काउन्टर यथा साध्य प्राधिकार पत्र निर्गत करने वाले काउन्टर के ठीक बगल मे जिला परिवहन कार्यालय में होंगे ।

(2) उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर प्लेट की विहित शुल्क प्राप्त कर वेंडर एक रसीद निर्गत कर वाहन स्वामी को उपलब्ध करायेंगे । वेंडर द्वारा निर्गत रसीद पर प्लेट लगाने की तिथि, समय एवं स्थान अंकित रहेगा ।

(3) डीलर प्वाईंट पर निबंधित वाहनों को डीलर से प्राप्त कागजात के आधार पर निबंधन पुस्तिका निर्गत करते समय वाहन स्वामियों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा । प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय वाहन स्वामी से HSRP प्लेट का मूल्य प्राप्त कर लिया जाएगा । प्राधिकार पत्र डीलर के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दिया जाएगा । वाहन स्वामी उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर एजेन्सी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने वाहन पर HSRP प्लेट लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) एकरारनामा के शर्तों के अनुसार HSRP प्लेट लगाने के लिये वेंडर द्वारा वाहन स्वामी को दो कार्य दिवस का समय दिया जायेगा । विलंब की स्थिति में वेंडर से एकरारनामा में विनिर्दिष्ट दंड वसूलनीय होगा । वाहन स्वामी रसीद में अंकित तिथि एवं समय पर अपने वाहन के साथ नियत स्थान पर जायेंगे जहां वेंडर द्वारा उनके वाहन पर रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं स्टीकर लगाया जायेगा । जहां यह व्यवस्था संभव नहीं हो वहां प्राधिकार पत्र वाहन स्वामी को उपलब्ध कराया जायेगा एवं वाहन स्वामी Affixing Station पर जाकर विहित शुल्क का भुगतान कर आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे ।

(ग) HSRP की दर -

1. HSRP की दर निम्नवत रूप से वाहन स्वामियों से प्राप्त/वसूल किये जायेंगे -

1.	दो पहिया वाहन	- रू0 131/-
2.	तिपहिया/अशक्त वाहन	- रू0 162/-
3.	हल्के मोटर वाहन/पैसेंजर कार	- रू0 335/-
4.	मध्यम/भारी वाहन/ट्रेलर/कम्बीनेशन	- रू0 310/-
5.	कृषि ट्रैक्टर/पावर ट्रेलर कम्बीनेशन	- रू0 140/-

उपर्यक्त दर जिला परिवहन पदाधिकारी अपने कार्यालय में तथा Affixing Station पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जायेगा ।

(घ) MIS की स्थापना

1. वेंडर एक Management Information System (MIS) को स्थापित करेंगे । उक्त आधार पर वाहनो के चेचिस नम्बर, इंजन नं0 ID No.s आदि का Cross Verification हो सके तथा प्रत्येक HSRP का रिकार्ड Maintain हो सके । वेंडर एकरारनामा के एनेक्चर-III में दैनिक प्रतिवेदन/मासिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे । वेंडर 'वाहन' साफ्टवेयर के साथ Interface निरूपण के लिए उत्तरदायी होंगे । वेंडर एक Web Portal भी विकसित करेंगे । एन.आई.सी. द्वारा वाहन साफ्टवेयर के साथ Interface के लिए वेंडर को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा ।

(ड.) पुराने HSRP का विनिमय (Exchange)

1. वैसे वाहन जिसमें पहले से HSRP प्लेट लगा हुआ है एवं उनके निबंधन प्लेट या 3rd निबंधन प्लेट, स्टीकर का परिवर्तन करना हो तो वैसी परिस्थिति में निबंधन प्राधिकार से निर्गत प्राधिकार के आधार पर एकरारनामा के एनेक्चर-V में दिए गए दर से शुल्क प्राप्त कर उसे परिवर्तित किया जा सकेगा ।
2. निबंधन प्लेट के निर्माण, हॉट स्टाम्पिंग या Reflective Sheet जिसकी गारंटी अवधि 5 वर्ष है, त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर निबंधन प्राधिकार की अनुशंसा पर बिना शुल्क के वेंडर द्वारा बदला जा सकेगा ।

(च) नोडल प्रदाधिकारी की नियुक्ति

प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे । नोडल पदाधिकारी वेंडर के प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित करेंगे एवं HSRP के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करेंगे ।

5. जिला परिवहन पदाधिकारी परिवहन विभाग की वेव साईट पर उपलब्ध एकरारनामा में निहित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । किसी संदेह की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से उनके द्वारा मार्गदर्शन मांगा जाएगा एवं उनसे प्राप्त निदेशों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।

6. अत: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुरोध है कि दिनांक 30.04.2012 से नये वाहनों पर उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाने के संबंध में उपरोक्त निदेशों का अनुपालन उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय । Embossing Station एवं Affixing Station स्थापित करने हेतु 22.04.2012 तक स्थल चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार कर ली जाय ।

विश्वासभाजन,

ह० 20/4/12
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक :-......1631...... पटना, दिनांक :20/4/2012

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 20/4/12
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

E:\Rai Sir doc-619